

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त कुल सचिव/रजिस्ट्रार केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्धक/कुल सचिव/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य सम्बन्धित विद्यालय/इन्जीनियरिंग कालेज/पैरामेडिकल/पालीटेक्निक/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ आईटीआई मान्यता प्राप्त प्रदाता संस्थाएं जनपद लखनऊ।

पत्रांक- C-6942

/जि०स०क०/दशमो० छात्रवृत्ति/2022-23 दिनांक : 21 मार्च 2023

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल को भी डिजी-लॉकर में रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-सी-5323 / स०क०/शिक्षा-अ/2/96/2022-23 दिनांक 17 मार्च 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (2020-21 से 2025-26) की गाइड लाइन में डिजी-लॉकर के प्रयोग हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2-छात्रों के राज्य/जिला प्रशासन द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र का डाटाबेस और लिंक के रूप में आधार संख्या का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं द्वारा बनाये गये डेटाबेस को डिजी-लॉकर में संरक्षित किया जायेगा।

3- प्रदेश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों, एफिलियेटिंग एजेन्सियों सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई०, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि द्वारा छात्र/छात्राओं के रिकार्ड एवं परीक्षा परिणाम को डिजी-लॉकर में संरक्षित किया जायेगा।

4- वित्तीय वर्ष 2022-23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को भी डिजी-लॉकर प्रयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश संस्थाओं एवं आपको पूर्व में दिये जा चुके हैं।

5-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के परीक्षा परिणाम को भी डिजी-लॉकर में सुरक्षित रखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है।

अतः छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Scholarship
for Students
for age checker
25/3/23

भवदीय

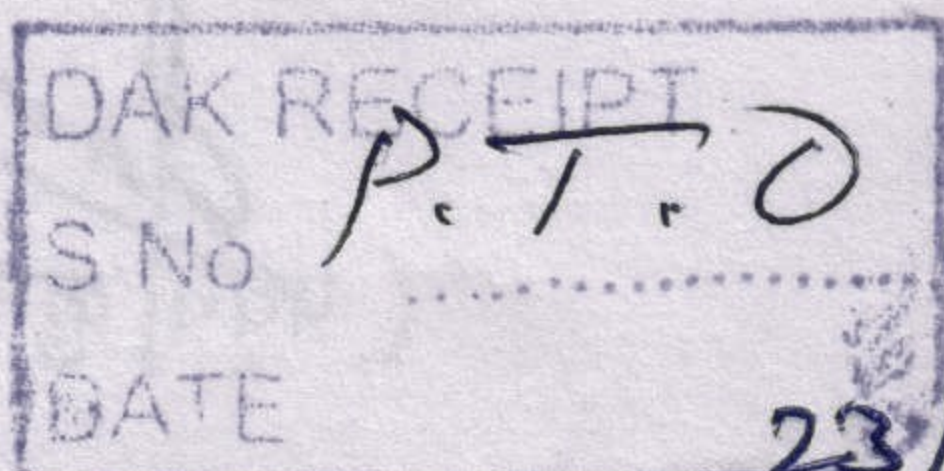
(सुनीता सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ

23/03/2023